न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–128/2022 दायर दिनांक– 05.07.2022

GCMS NO:- 2022/263 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. चम्पाबाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवा।
2. कविता पुत्री बाबूलाल नाबालिग जर्येवली संरक्षक माता चम्पा बाई पत्नी बाबूलाल जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हरपाल आ0 रामचन्द्र जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज जर्ये वार्ड पंच ग्रा0प0 बालापुरा तहसील नैनवॉ।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरुका।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज प.म0 बालापुरा तहसील नैनवॉ मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 372/612 रकबा 0.4854 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के हिस्से मे आयी हुई है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है।

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित है, के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 ने सिवायचक भूमि पर नाजायज जबरन लठ की ताकल पर कब्जा कर रखा है जो आये दिन प्रार्थीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करता रहता है तथा जबरन अपनी भूमि को प्रार्थीगण की भूमि मे बताकर कब्जा करना चाह रहा है जिससे परेशान होकर प्रार्थीगण ने दिनांक 27.6.2022 को भूमि का सीमाज्ञान कराने का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 को दिया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने यह कहते हुए कि सीमाज्ञान का समय समाप्त हो गया है। आप एसडीओ साहब से पत्थरगढी का आदेश निकलवाओ तब हम भूमि का का नापचौप करेंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी,, नक्शा ट्रेस पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। दिनांक 04.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाने वावत् प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को जवाब/रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया।

आज दिनांक 26.6.2025 को हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये लगभग 3 वर्ष का समय होने वाला है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अप्राप्त है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम रघुनाथगंज प.म0 वालापुरा तहसील नैनवॉ मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 372/612 रकबा 0.4854 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इगदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा